

(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

निगरानी-1023-तीन/10 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.06.2010 पारित
द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण क्रमांक 49/निगरानी/07-08

बनवारीलाल पुत्र श्री रामकुमार भिमनिया,
निवासी- जिला सीधी (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर उमरिया।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका
परिषद, उमरिया म.प्र.।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी, उमरिया, म.प्र.

.....अनावेदकगण

एवं

निगरानी-1025-तीन/10 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.06.2010 पारित द्वारा आयुक्त
शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण क्रमांक 97/निगरानी/07-08

गिरधारीलाल पुत्र श्री रामकुमार भिमनिया,
निवासी- जिला सीधी (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर उमरिया।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका
परिषद, उमरिया म.प्र.।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी, उमरिया, म.प्र.

.....अनावेदकगण

✓

✓

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
 अनावेदक क्र. 1 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा
 अनावेदक क्र. 2 पूर्व से एक पक्षीय हैं।
 अनावेदक क्र. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी

आदेश


(आज दिनांक...24/05/2019.....को पारित)

उपरोक्त निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 49/निगरानी/07-08 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2010 एवं प्रकरण क्र.97/निगरानी/07-08 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2010 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. उपरोक्त दोनों प्रकरणों की विषय वस्तु एक होने से संयुक्त आदेश पारित किया जा रहा है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नजूल बांधवगढ़ के समक्ष ग्राम छटनकैंप उमरिया के खसरा क्र. 1677/1 (क) के संबंध में धारा 248 के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अर्जुनदास शर्मा की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा पेश किया गया। जिसमें आवेदक द्वारा प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर कार्यवाही के दौरान तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.01.07 को प्रचलनशीलता आपत्ति को निरस्त किया गया। जिसको विरुद्ध कलेक्टर उमरिया के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जो उनके आदेश दिनांक 30.04.2007 द्वारा निरस्त की गई। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध द्वितीय निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो उनके आदेश दिनांक 29.06.2010 द्वारा निरस्त की गई। आयुक्त के इन्हीं आदेशों के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।





4. आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी के मुख्य आधार यह हैं कि खसरा नं. 1677/1 राजस्व अभिलेख में एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में भूमि स्वामी के रूप में नजूल भूमि दर्ज नहीं है, बल्कि उपरोक्त भूमि कृषि उपज मण्डी उमरिया भूमि स्वामी दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 248 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस संबंध में आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत 1993 आर.एन. पेज - 274 का उल्लेख किया था। किंतु इसके बावजूद अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत पर विचार किए बिना ही आवेदक की आपत्ति को बिना किसी कारण के अपास्त किया गया है। अतः इस कारण अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार बांधवगढ़ के न्यायालय में आवेदक के विरुद्ध एक अन्य प्रकरण क्रमांक 63/अ-74/05-06 पूर्व से विचाराधीन था। अतः ऐसी स्थिति में पूर्व प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए नवीन प्रकरण अथवा एक ही विषय वस्तु के दो प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं थे। उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर विचार किए बिना जो आदेश विचारण न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं, वह अपास्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आयुक्त महोदय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि विवादित भू-खण्ड एवं भूमि कृषि उपज मण्डी के स्वामित्व की है एवं किरायाशुदा भवन नगर पालिका परिषद के आधिपत्य में है व आवेदक किरायेदार होना आयुक्त न्यायालय द्वारा माना गया है। अतः उपरोक्त स्थिति के अनुसार आवेदक किरायेदार है और किरायेदार को अधिक्रामक नहीं माना जा सकता और नही उसे संहिता की धारा 248 के अधीन बेदखल किया जा सकता है। यदि किरायेदार एवं मालिकों के मध्य कोई भी विवाद किरायेशुदा भवन और भू-खण्ड को लेकर पैदा होता है तो ऐसी दशा में अनावेदकगण को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत बेदखल करने हेतु

सिविल न्यायालय में सिविल प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिए। उक्त बिन्दु पर ध्यान दिए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5. अनावेदक क्र. 1 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार बांधवगढ़ नजूल द्वारा विधि की प्रक्रिया अनुसार आदेश पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने की है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। उक्त आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया। आवेदकगणों का मुख्य अपील आधार यह है कि विवादित भूमि नगर पालिका परिषद उमरिया के स्वत्व एवं स्वामित्व की है जो आवेदकगण को किरायेनामे पर दी गई थी। आवेदकगण उपरोक्त भूमि पर किरायेदार है। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि कृषि उपज मण्डी उमरिया के स्वामित्व की है। इसलिये संहिता की धारा 248 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवेदकगण का यह भी कथन है कि तहसीलदार बांधवगढ़ के न्यायालय में आवेदकगण के विरुद्ध एक अन्य प्रकरण क्रमांक 63/अ-74-05-06 पूर्व से विचाराधीन था। अतः ऐसी स्थिति में पूर्व प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए नवीन प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था। उपरोक्त सभी बिन्दु कलेक्टर न्यायालय में पुनरीक्षण के दौरान उठाये थे। कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 03-04-07 में प्रत्येक बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि कृषि उपज मण्डी को हस्तांतरित/आवंटित नहीं की गई है, वरन भूमि का केवल अग्रिम आधिपत्य किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि कृषि उपज मण्डी के स्वामित्व की नहीं है। कलेक्टर ने भू-अभिलेखों के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट

पाया है कि भूमि नजल भूमि है तथा नगर पालिका परिषद एवं कृषि उपज मण्डी की भूमि नहीं है। अतः इन्हें उक्त भूमि को किराये पर देने का अधिकार नहीं है। आवेदकगण का यह कथन कि उनके विरुद्ध पूर्व से एक अन्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रकरण संहिता की धारा 248 के अंतर्गत नहीं है। अपितु विविध मद/जांच का प्रकरण है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में आवेदकगण द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कलेक्टर के उक्त निष्कर्ष के विपरीत निष्कर्ष दिया जा सके। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा निगरानी खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखते हुए प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(बी.एम. शर्मा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर